समाहर्त्ता का कार्यालय, चतरा

सं0 909 दिनांक 21.08.17

प्रमाण–पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–5/स0भू0 लातेहार–1/2010 1817/रा0 राँची दिनांक–30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागो/कम्पनियों/प्रतिष्ठानो/उद्यमो/ऐजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाडी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल–झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला–**चतरा**, अंचल–**सिमरिया** के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है:–

क्र0	अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिमरिया	एदला	164	264	2746	8.50	गैरमजरुआ खास जंगल–झाड़ी
					कुल रकवा	**8.50**	

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, **झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम, हजारीबाग** को **ग्रीड सब स्टेशन निर्माण** के लिए भूमि अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रुप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
3. गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

21/08/17

उपायुक्त
चतरा।

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Jharkhand
Office of the District Collector, Chatra
*****

No....189 Dated 10.02.18

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **3.44 hectare (8.50 acres)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd. Hazaribagh** for **Construction Of Grid Sub-station** in **Chatra** district falls within jurisdiction of **Edla** village in **Hunterganj** tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.44 hectare (8.50 acres)** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure **I.**

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed divsion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Edla** village enclosed as annexure **I**

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

10/02/18
Sandeep Singh

Encls.: As above.

Vnadhikar Samati Noc

ग्राम सभा की बैठक की सूचना

ग्राम सभा ......एदला...... के सभी सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम सभा की बैठक तारीख ......22.4.17...... को निम्नलिखित ग्राम ......एदला पंचायत भवन...... के स्थान ......पंचायत भवन एदला...... पर होगा।

ग्राम सभा के सभी सदस्य, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

22/4/17

बैठक बुलाने वाला प्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

मुखिया
ग्राम पंचायत – एदला
प्र०– [illegible] (चतरा)

E:\Map Section\Village Metting.doc

प्रपत्र–6
(नियम 13 (क) देखिये)

ग्राम सभा में कार्यवाही अभिलेख

1. ग्राम पंचायत का नाम :– एदला
2. बैठक की तिथि :– 22.4.17
3. बैठक का स्थान :– पंचायत भवन एदला
4. बैठक का समय :– 11.00 AM
5. उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों की संख्या :–

क्रमांक	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	बैठक की कार्यवाही
	2	3
1	पावर ग्रीड निर्माण	
1	खाता नं- 264	
2	प्लॉट नं- 2746	
3	रकबा = 8.50 एo	
4		
5		
6		
7		
8		
9		

स्थान–
तारीख–

27/04/17
ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर
एवं मुहर

मोजाहिद हुसैन

प्रदीप कुमार

मो० बिलाल

E:\Map Section\Village Metting.doc

मो० मजीद

पंकज

मोहन गंझू

सुकर भुइयाँ

नि० मामुद अंसारी

नि० महेश गंझू

रविन्द्र गंझू

मेहन्दु गंझू

मिन्हाज मियाँ

ललन गंझू

सुखदेव गंझू

मुकेश गंझू

नि० मनी

टेकलाल यादव

[...]र समिति ...रुदला... ग्राम पंचायत ...रुदला... प्रखण्ड ...[illegible]... जिला ...[illegible]...

वन अधिकार समिति का प्रतिवेदन

[...]ज दिनांक 8/11/18 को वन अधिकार समिति ...रुदला... की बैठक श्री ...नारोश्वर साव... की अध्यक्षता में दिन के 1:30 बजे स्थान पंचायत भवन रुदला में/पर सम्पन्न हुई। इस बैठक में श्री ...विद्युत उप पावर... पिता ...ग्रीड निर्माण... ग्राम ...रुदला... के वन भूमि पर दावे पर विचार किया गया। दिनांक.................... के स्थल निरीक्षण और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि :—

श्री ...विद्युत उप पावर ग्रीड... पिता ...निर्माण हेतु...

1. खाता नं0 ...264... प्लौट नं0 ...2756... में ....का भूमि पर कब्जा है। गैरमजरुआ खास खाते की है। ...8... एकड ...0.50... डिसमिल
2. उपरोक्त जमीन वन भूमि है। वर्तमान में वन विभाग से बाहर है खतियान के अनुसार [illegible] जंगल दर्ज है
3. उपरोक्त वन भूमि पर उसका कब्जा 13.12.2005 के पहले का है।
4. उपरोक्त वन भूमि पर वह स्वयं खेती करता है और जीविकोपार्जन के लिए निर्भर है।
5. जो नक्शा अमीन द्वारा बनाया गया है, वह दावेदार के वास्तविक कब्जे को दर्शाता है।
6. स्थल निरीक्षण के समय वन और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे/नहीं थे।
7. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग प्रतिनिधि ने अपना मंतव्य दिया है/नहीं दिया है।

अतः वन अधिकार समिति ने श्री ...विद्युत उप पावर ग्रीड निर्माण हेतु... के दावे को सही और कानून सम्मत पाया और वन अधिकार नियम 2008की धारा 11उपधारा 2(5) के अंतर्गत ग्राम सभा के पास इस दावे को अग्रेतर कार्रवाई के लिए अनंशंसा करती है।

[उप]स्थित स्दस्यों का हस्ताक्षर

अध्यक्ष — सचिव
वन सुरक्षा समिति
नि० रोहन भुईयाँ

दीनदयाल साव
नि० ईश्वर साव

9. शकुन्तला देवी
10. सिकेन्द्र विश्वकर्मा
11.
12. नि० रिन्कु भुईयाँ
13.
14.
15. नि० कमलिया देवी

समीना खातुन

[य]दि समिति का कोई भी सदस्य दावेदार है तो वह अपने खुद के दावे के बारे में वन अधिकार समिति की कार्यवाही में भाग [औ]र उस प्रतिवेदन में हस्ताक्षर नहीं करेगे। (वन अधिकार नियम 2008 धारा 3 उपधारा 3 देखें)

नारोश्वर साव — महादेव साव

अध्यक्ष — सचिव
वन सुरक्षा समिति
ग्राम-रुदला

समाहरणालय, चतरा
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही

दिनांक–25.01.2018 को अपराह्न 2:00 बजे जिला वन अधिकार समिति, चतरा की बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें चतरा जिला अन्तर्गत संलग्न भू–विवरणी अनुसार संबंधित ग्राम वन अधिकार समिति द्वारा दिए गये वन भूमि के उपयोग हेतु अनुमंडल वन अधिकार समिति के द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनुशंसा के आधार पर जिला वन अधिकार समिति, चतरा द्वारा वन एवं जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए बैठक आहुत की गई जिसमे निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

उपस्थिति

1. अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
–सह–
उपायुक्त, चतरा। — 25/01/18
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी
उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा। — 25.1.18
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी
दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा। — 25.01.18
4. अपर समाहर्त्ता, चतरा। — 25.1.18
5. जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा। — 25.1.18
6. श्री रामे टाना भगत
(सदस्य)
सिदपा, टण्डवा। — रामेटानाभगत
7. श्रीमति शोभा कुजूर
(सदस्य)
कल्याणपुर, टण्डवा।
8. श्री सरयु उरॉव
(सदस्य)
सिंदरीवार, सिमरिया।

क्र0	योजना का नाम	अंचल	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	वन भूमि	गैर0 खास जंगल/जंगल झाड़ी रकवा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पावर ग्रीड सब–स्टेशन निर्माण	हंटरगंज	बलुरी	65	83	759	0.00	10.00
2.	सी0 सी0 एल0 अंतर्गत पूर्णाडीह परियोजना	टण्डवा	हेंजदा		45	406	0.00	3.00
						24	0.00	0.82
						485	0.00	3.03
						489	0.00	13.50
						494	0.00	7.12
						496	0.00	5.50
			कुटकी		44	54	0.00	0.70
						61	0.00	1.05
						63	0.00	0.65
						65	0.00	0.95
						264 P	0.00	7.10
						439 P	0.00	7.81
						440 P	0.00	4.49
						441 P	0.00	4.74
						442 P	0.00	3.40
						566	0.00	1.18
						54	0.00	5.07
						51	0.00	0.19
						440	0.00	2.61
			डेम्बुआ	90	19	01	0.00	4.64
						10	0.00	3.68
						13	0.00	9.00
						209	0.00	7.84
						कुल	**0.00**	**98.07**
3.	सामुदायिक विकास केन्द्र	हंटरगंज	कुसुम्भा	335	34	94		5.00
4.	मगध–आम्रपाली परियोजनान्तर्गत NBCC Road निर्माण	टण्डवा	राहम	62	176	2117	0.583	0.167
						2104	0.10	1.816
						2085	0.00	3.56
						282	0.00	1.416
					346	281	0.00	4.00
						कुल	**0.683**	**10.959**
5	पवार ग्रीड निर्माण	सिमरिया	एदला	164	264	2746	0.00	8.50
6	सामुदायिक भवन निर्माण	हंटरगंज	हटवरिया	111	14	144	3.20	0.00

2. सर्व सम्मति से उपरोक्त सारणी में वर्णित भूमि के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित अधिनियम, 2012 के अंतर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

3 सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में आदिम जनजाति समूहों एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा–3 (1)(e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

4. सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी ग्रामों में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

5 सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त संलग्न विवरणी में वर्णित भूमि के अपयोजन में जिला वन अधिकार समिति, चतरा को कोई आपत्ति नहीं है।

6 इस अनापत्ति को भूमि के अपयोजन की स्वीकृति नहीं समझा जाय। भूमि के वास्तविक अपयोजन से पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

रामेटाना भगत

श्री रामे टाना भगत
(सदस्य)
सिदपा, टण्डवा।

श्रीमति शोभा कुजूर
(सदस्य)
कल्याणपुर, टण्डवा।

श्री सरयु उराँव
(सदस्य)
सिंदरीवार, सिमरिया।

25/1/18
जिला कल्याण पदाधिकारी
चतरा।

25.1.18
अपर समाहर्त्ता
चतरा।

25.1.18
वन प्रमंडल पदाधिकारी
उत्तरी वन प्रमंडल,चतरा।

25.01.18
वन प्रमंडल पदाधिकारी
दक्षिणी वन प्रमंडल,चतरा।

25/01/18
अध्यक्ष
जिला वन अधिकार समिति
–सह–
उपायुक्त, चतरा।

मौजा - रुदला
थाना नं० - १६४
थाना - सिमरिया
जिला - चतरा
पैमाना - १६" = १मील

खाता	प्लौट	रकबा
२६४	२६९६ / ७	२.५० ए०

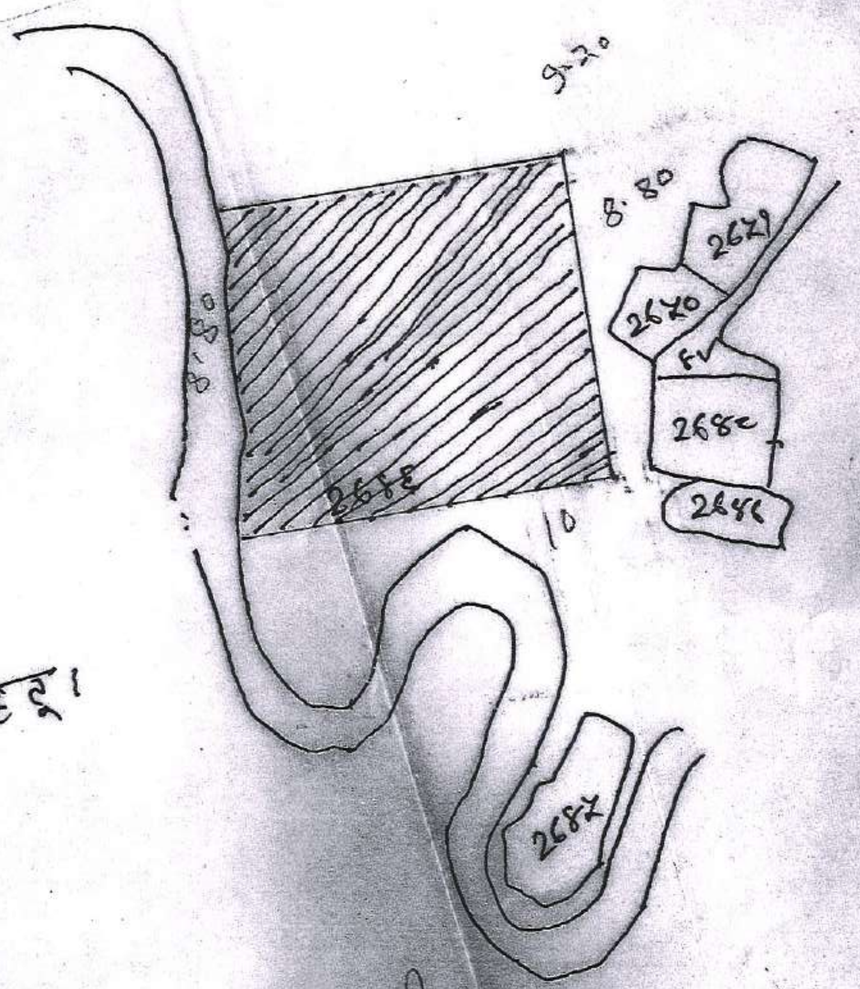

संकेत :- [hatched box] - प्रस्तावित भूमि पॉवर ग्रिड हेतु।

चौहद्दी :-
उ० - प्लौट - 2696
द० - " "
पू० - "
प० - नदी

अमीन
राजस्व कर्म०
अंचल नि०
अंचल अधिकारी